

द्वितीय सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)

(समक्ष- मोहम्मद अजहर)

क्लेम प्रकरण क्र. 45/15

संस्थित दिनांक 18.11.2015

गोविंद सिंह पुत्र सिकन्दर सिंह आयु 22 साल
जाति बाल्मीक (मेहतर) निवासी थाने के पीछे
स्योढ़ा जिला दतिया म0प्र0

..... आवेदक

बनाम

1. धर्मेन्द्र सिंह पुत्र दुरविन सिंह आयु 31 साल
जाति यादव निवासी लुहारपुरा मौ परगना गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

चालक बस क्रमांक एम.पी.-30-पी.-0130

2. रामनरेश सिंह पुत्र रनवीर सिंह आयु जाति
गुर्जर निवासी बस स्टेण्ड थाना व परगना मेहगांव
जिला भिण्ड म0प्र0

मालिक बस क्रमांक एम.पी.-30-पी.-0130

3. शाखा प्रबंधक दि न्यू इण्डिया इन्श्योरेंस कंपनी
प्राइवेट लिमिटेड शाखा सिटी सेंटर एल. आई.सी.
बिल्डिंग ग्वालियर म0प्र0

..... बीमा कंपनी

..... अनावेदकगण

.....
आवेदक द्वारा श्री बी.एस. गुर्जर अधिवक्ता

अनावेदक क्रमांक-1 व 2 द्वारा श्री बी.एस. यादव अधिवक्ता।

अनावेदक क्रमांक-3 द्वारा श्री आर.के. बाजपेयी अधिवक्ता।
.....

// अधि-निर्णय //

(आज दिनांक 14.10.17 को पारित)

- यह क्लेम याचिका धारा 166 सहपठित धारा-140 मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत दिनांक 14.09.14 को मौ गोलम्बर तिराहे के पास वाहन बस दुर्घटना में आवेदक गोविंद की सुअरिया को आई चोटों के फलस्वरूप हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप अनावेदकगण से संयुक्त रूप से अथवा प्रथक-प्रथक रूप से 74,05,000/-रुपए की क्षतिपूर्ति राशि 12 प्रतिशत ब्याज सहित दिलाए जाने हेतु प्रस्तुत की गई है।

2. क्लेम याचिका के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 14.09.14 को रात्रि 09:30 बजे रविवार को आवेदक गोविंद सिंह अपनी सुअरिया को जो कि उसने दिलीप स्वीपर निवासी मौ को बटिया पर दी थी, को देखने आया था। तभी बस क्रमांक एम.पी.-30-पी-0130 के चालक अनावेदक क्रमांक 01 धर्मेन्द्र सिंह ने बस को तेजी व लापरवाही से चलाकर उक्त सुअरिया को टक्कर मार दी जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। आवेदक द्वारा बस स्टॉफ तथा अनावेदक क्रमांक 01 व 02 से चर्चा करने पर उन्होंने सुअरिया की मृत्यु का नुकसान देने का आश्वासन दिया। परंतु कोई राशि अदा न करने पर दिनांक 16.09.14 को आवेदक के द्वारा घटना की रिपोर्ट थाना मौ में की गई। जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध होकर बाद अनुसंधान अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सूअरिया का पोस्टमार्टम करने पर उसके पेट से 12 नवजात छोटे-छोटे बच्चे मृत निकले। उक्त सुअरिया प्रतिवर्ष लगभग 12-12 बच्चे पैदा करती थी, जिसके बाल एवं गोबर खाद हेतु बिकता था, एक पशु लगभग 25-30 हजार रूपए का बिकता था, जिससे आवेदक को 50 हजार रूपए मासिक की आय होती थी। जिससे उसका व परिवार का भरण पोषण होता था। आवेदक के पास पशुपालन के अलावा अन्य कोई आय का साधन नहीं है यदि सुअरिया की असमय मृत्यु नहीं होती तो वह अपने जीवन काल में अधिक धन अर्जित करता। दुर्घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक 01 प्रश्नगत वाहन बस का चालक था तथा अनावेदक क्रमांक 02 उसका पंजीकृत स्वामी था, उक्त बस अनावेदक क्रमांक 03 की बीमा कंपनी में समस्त दायित्वों के लिए बीमित थी। उक्त आधारों पर उपरोक्त क्षतिपूर्ति राशि दिलाए जाने की प्रार्थना की गई।
3. अनावेदक क्रमांक 01 व 02 की ओर से क्लेम याचिका का लिखित उत्तर प्रस्तुत करते हुए आवेदक के अभिवचनों का सामान्य और विनिर्दिष्ट रूप से प्रत्युत्तर किया गया है और यह अभिवचन किया गया है कि घटना दिनांक को उनकी बस गोलम्बर तिराहे से बस स्टेण्ड की तरफ आई थी। परंतु अनावेदक क्रमांक 01 के द्वारा बस को तेजी व लापरवाही से नहीं चलाया गया और न ही उक्त सुअरिया की उक्त बस से टक्कर लगने से मृत्यु हुई है। आवेदक से उनकी कोई चर्चा नहीं हुई है। घटना की रिपोर्ट

झूठी दर्ज कराई गई है। जबकि उनके वाहन से कोई दुर्घटना नहीं हुई है।
उक्त आधारों पर क्लेम याचिका निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अनावेदक क्रमांक 03 की ओर से क्लेम याचिका के अभिवचनों का सामान्य और विनिर्दिष्ट रूप से प्रत्ख्यान किया गया है और यह अभिवचन किया गया है कि यदि उक्त दिनांक को उक्त वाहन से उक्त दुर्घटना होना, अनावेदक क्रमांक 01 का चालक होना, अनावेदक क्रमांक 02 का बस का स्वामी होना प्रमाणित होता है तो यह आपत्ति की गई है कि आवेदक ने सुअरिया का स्वामी होने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है यदि आवेदक सुअरिया का स्वामी होना सिद्ध करता भी है तो बीमा कंपनी का दायित्व 6,000/-रुपए तक ही सीमित माना जा सकता है। दुर्घटना दिनांक को उक्त प्रश्नगत बस के चालक के पास बस को चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लाइसेंस, रूट परमिट एवं फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं था। इस प्रकार बीमा संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। बस को ओवर लोडिंग ले जाने से भी बीमा संविदा की शर्तों का उल्लंघन हुआ है। सुअरिया को एकदम सड़क पर दौड़ाया गया इसलिए आवेदक क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। आवेदक व अनावेदक क्रमांक 01 व 02 ने दुरभिसंधि कर ली है। उक्त आधारों पर क्लेम याचिका निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

5. मेरे पूर्व विद्वान पदाधिकारी के द्वारा उभयपक्ष के अभिवचनों एवं प्रलेखों के आधार पर निम्न वादप्रश्न निर्मित किए गये, जिनके निष्कर्ष साक्ष्य की विवेचना के आधार पर उनके सामने लिखे जा रहे हैं:-

वादप्रश्न	निष्कर्ष
1. क्या अनावेदक क्रमांक 01 ने अनावेदक क्रमांक 02 के स्वामित्व की बस क्रमांक एम. पी.-30-पी.-0130 को दिनांक 14.09.14 की रात करीब 09:30 बजे मौ गोलम्बर के पास उपेक्षा पूर्वक या उतावलेपन से चलाकर आवेदक के स्वामित्व के पालतु पशु (सूअर मादा) को टक्कर मारी जिससे उसकी मृत्यु हुई ?	अप्रमाणित।
2. क्या अनावेदक क्रमांक 01 द्वारा कारित उक्त दुर्घटना में मृत हुए सुअर के कारण	अनावेदक क्रमांक 01 द्वारा घटना कारित करना प्रमाणित नहीं। सूअर

आवेदक को आर्थिक क्षति पहुंची यदि हां तो कितनी ?	की मृत्यु से 12,000/-रुपए की आर्थिक क्षति होना प्रमाणित।
3. क्या आवेदक अनावेदकगण से कोई क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का पात्र है, यदि हां तो किससे और कितनी-कितनी ?	आवेदक अनावेदकगण से कोई क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का पात्र होना अप्रमाणित।
4. क्या प्रकरण में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन का दोष है ?	अप्रमाणित।
5. क्या वाहन क्रमांक एम.पी.-30-पी.-130 की बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया गया है, यदि हां तो प्रभाव ?	ड्रायविंग लाइसेंस कॉमर्शियल व्हीकल का न होने से वाहन क्रमांक एम.पी.-30-पी.-130 की बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया गया होना प्रमाणित।
6. क्या आवेदक एवं अनावेदकगण के मध्य दुरभिसंधि है ?	अप्रमाणित।
7. अन्य सहायता एवं व्यय ?	क्लेम याचिका निरस्त की गई।

—:सकारण निष्कर्ष:—

वाद प्रश्न क्रमांक-01 :-

6. आवेदक गोविंद सिंह आ0सा0-01 ने यह बताया है कि दिनांक 14.09.14 को रात्रि 09:30 बजे रविवार को वह दिलीप को बटाई पर दी हुई अपनी सुअरिया को देखने कस्बा मौ में आया तो उसके व दिलीप के सामने मौ गोलम्बर तिराहे पर बस स्टेण्ड से सफेद रंग की बस क्रमांक एम.पी.-30-पी-0130 के चालक अनावेदक क्रमांक 01 ने बस को तेजी व लापरवाही से चलाकर उसकी सुअरिया को टक्कर मार दी जिससे टटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। आवेदक के द्वारा स्टॉफ, अनावेदक क्रमांक 01 व 02 से चर्चा की तो उन्होंने नुकसानी देने का आश्वासन दिया परंतु नुकसानी अदा नहीं की। तब दिनांक 16.09.14 को थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई जिस पर से प्रकरण पंजीबद्ध होकर बाद अनुसंधान अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
7. इसी प्रकार दिलीप आ0सा0-02 ने भी गोविंद आ0सा0-01 की साक्ष्य की पुष्टि करते हुए उपरोक्तानुसार अनावेदक क्रमांक 01 के द्वारा बस से सुअरिया को टक्कर मारकर मृत्यु कारित करना बताया है। आवेदक की ओर से उक्त संबंधित आपराधिक प्रकरण के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां

प्र०पी०-०१ लगायत प्र०पी०-१० प्रस्तुत की गई हैं। प्र०पी०-०२ की प्रथम सूचना रिपोर्ट का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उसमें दुर्घटना दिनांक 14.09.14 की बताई गई है, परंतु रिपोर्ट दिनांक 16.09.14 को लिखाई गई है। विलंब का कारण **“स्टाफ अभी तक पैसे देने का आश्वासन दे रहे थे मना करने पर रिपोर्ट को आने पर”** लिखा हुआ है।

8. प्रथम सूचना रिपोर्ट में बस काजल यादव सफेद रंग की होने का उल्लेख है। परंतु बस क्रमांक का कोई उल्लेख नहीं है। रिपोर्ट प्र०पी०-०२ गोविंद के द्वारा लिखाई गई है। प्र०पी०-०४ गोविंद का कथन है, जो रिपोर्ट लिखाए जाने की दिनांक 16.09.14 को ही लिया गया है। उक्त कथन में बस क्रमांक एम.पी.-३०-पी-०१३० के बस के चालक के द्वारा टक्कर मारने का उल्लेख है। प्रकट है कि उसी दिन प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई गई है और उसी दिन कथन लिया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में बस का कोई क्रमांक नहीं है जबकि घटना को दो दिन हो चुके थे। वहीं उसी दिनांक का पुलिस कथन दर्शाते हुए कथन में बस का नंबर बताया जाना दर्शाया है। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट में बस का नंबर न होने और प्रथम सूचना रिपोर्ट दो दिवस के विलंब से लिखाए जाने का कोई युक्तियुक्त स्पष्टीकरण होना प्रकट नहीं होता है।

9. विलंब का कारण पैसे देने का आश्वासन देना लिखा हुआ है। परंतु पैसे का लेनदेन प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने के पश्चात भी किया जा सकता था और राजीनामा हो सकता था। इस प्रकार दो दिन पश्चात घटना की रिपोर्ट लिखाया जाना तथा दो दिन में भी प्रथम सूचना रिपोर्ट में बस का क्रमांक नहीं बताया जाना स्पष्ट रूप से इस बात की ओर संकेत करता है कि उक्त बस से उक्त दुर्घटना हुई ही नहीं है क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट के कॉलम नंबर 5ब में घटना की दिनांक पहले 16 लिखी हुई थी, फिर उसके बाद उसे 14 किया गया है। प्र०पी०-०५ के सूअर के शवपरीक्षण रिपोर्ट में शवपरीक्षण दिनांक 16.09.14 को किया गया है, जिसमें उक्त सूअर का मादा सूअर होना लिखा हुआ है। जिसमें बाह्य दशा में नाक से खून बहना, मुंह में फ्रेक्चर और पसली में फ्रेक्चर होने का उल्लेख है। परंतु उक्त रिपोर्ट में यह उल्लेख कहीं नहीं है कि उक्त सूअर की मृत्यु की अवधि पोस्ममार्टम

करने के समय से कितने दिन पूर्व की थी।

10. गोविंद सिंह आ०सा०-01 ने पैरा-08 में यह बताया है कि बस का नंबर उसी समय घटना दिनांक को देख लिया था। परंतु प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी०-02 में बस का कोई क्रमांक नहीं बताया गया है, जबकि दो दिन बाद रिपोर्ट लिखाई गई है। पैरा-10 में गोविंद आ०सा०-01 ने यह बताया है कि दुर्घटना के होते ही एक घंटे के बाद ही पैसे देने को कहा था और एक घंटे बाद मालिक आया और कहा कि पैसे नहीं देंगे, तुम्हें दिखे सो करो। इस प्रकार आवेदक के अनुसार घटना दिनांक को ही घटना के एक घंटे बाद पैसे देने से इन्कार कर दिया था। उसके बावजूद दो दिन विलंब से रिपोर्ट लिखाई गई है। जिसका कारण गोविंद आ०सा०-01 ने यह बताया है कि उसे काम पड़ गया था। परंतु कुछ भी स्पष्ट नहीं बताया है कि क्या काम पड़ गया था।

11. दिलीप आ०सा०-02 ने पैरा-06 में यह बताया है कि काजल बस मौ से भिण्ड चलती है उक्त बस पर देवनारायण भी लिखा था। परंतु जप्तीपंचनामा प्र०पी०-07 का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि बस पर **देवनारायण** लिखा होने का कोई उल्लेख नहीं है। मैकेनिकल जांच रिपोर्ट प्र०पी०-10 पर भी बस पर **देवनारायण** लिखा होने का कोई उल्लेख नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट होता है कि किसी देवनारायण लिखी हुई बस से टक्कर हुई है और दो दिवस पश्चात काजल यादव नाम की बस को लिप्त करा दिया है क्योंकि दो दिन तक भी प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाए जाने तक बस का कोई क्रमांक नहीं बताया गया है और ऐसा भी नहीं था कि बस पर उसका क्रमांक न लिखा हो, जैसा कि जप्तीपंचनामा और मैकेनिकल जांच रिपोर्ट में बस का क्रमांक स्पष्ट रूप से एम.पी.-30-पी.-0130 लिखा हुआ है। अतः ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट होता है कि दुर्घटना किसी अन्य बस से हुई है और दो दिवस पश्चात बस क्रमांक एम.पी.-30-पी.-0130 का लिप्त करा दिया गया है।

12. दिलीप आ०सा०-02 पैरा-07 में यह कहता है कि पुलिस रिपोर्ट में वाहन का नंबर लिखाया था। पैरा-07 में ही वह कहता है कि घटना दिनांक को रिपोर्ट करने नहीं गए थे स्वतः यह बताता है कि धर्मेन्द्र

के घर गए थे। गोविंद आ०सा०-01 पैरा 08 में यह कहता है कि बस का नंबर उसने उसी समय घटना दिनांक को देख लिया था। पैरा-09 में बताया है कि घटना दिनांक को रिपोर्ट नहीं की थी क्योंकि ड्रायवर व मालिक ने हर्जा देने की कही थी। परंतु प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी०-02 में वाहन का कोई नंबर नहीं है।

13. दिलीप आ०सा०-02 ने पैरा-08 में यह बताया है कि दुर्घटना कारित करने वाला वाहन का नंबर एम.पी.-30-पी-0130 घटना के तुरंत बाद उसे मालूम चल गया था और यह नंबर उसने हाल ही गोविंद को बताया था। परंतु गोविंद ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी०-02 में दो दिवस पश्चात भी उक्त बस का नंबर नहीं बताया है। जिससे कि स्पष्ट है कि वास्तव में गोविंद और दिलीप को उक्त बस का नंबर घटना दिनांक को मालूम ही नहीं था क्योंकि घटना किसी अन्य बस से हुई है।

14. दिलीप आ०सा०-02 एवं गोविंद आ०सा०-01 के अनुसार ही उन्हें घटना के समय ही यह पता चल गया था कि उक्त बस का चालक धर्मेन्द्र है और उसका स्वामी रामनरेश है अर्थात् बस के ड्रायवर एवं मालिक को वे जानते थे और घटना के समय नुकसानी देने की बात भी हुई थी, तब भी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी०-02 में न तो बस को चलाने वाले ड्रायवर का नाम है और न ही बस के मालिक का नाम है। जिससे स्वतः ही यह सिद्ध हो जाता है कि घटना के समय और उसके दो दिवस पश्चात भी आवेदक और दिलीप को यह पता ही नहीं था कि दुर्घटना कैसे हुई है अथवा दुर्घटना किस वाहन से हुई है।

15. प्रस्तुत किए गए समस्त दस्तावेजों से भी यह प्रकट नहीं होता है कि गोविंद को बस का नंबर कैसे मालूम चला। ऐसी स्थिति में यह तो प्रमाणित होता है कि किसी वाहन से वाहन चालक द्वारा उपेक्षा अथवा उतावलेपन से सुअरिया में टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की गई। जिससे उसकी मृत्यु कारित हुई है। परंतु यह प्रमाणित नहीं होता है कि उक्त दुर्घटना बस क्रमांक एम.पी.-30-पी-0130 के द्वारा हुई और उक्त दुर्घटना अनावेदक क्रमांक 01 धर्मेन्द्र सिंह के द्वारा कारित की गई।

वादप्रश्न कमांक-02 एवं 03:-

16. दोनों वादप्रश्न एक दूसरे से संबंधित हैं, इस कारण उनका निराकरण एक साथ किया जा रहा है ताकि तथ्यों की पुनरावृत्ति न हो। इस मामले में बीमा कंपनी की ओर से यह आधार लिया गया है कि उक्त सुअरिया आवेदक की नहीं थी। यद्यपि इस संबंध में आवेदक के द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। इस संबंध में आवेदक गोविंद सिंह आ०सा०-01 के द्वारा यह भी नहीं बताया गया है कि उक्त सुअरिया उसके पास कहां से आई और किससे कय की थी। परंतु मौखिक रूप से सुअरिया अपनी स्वयं की होना बताया है। गोविंद आ०सा०-01 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा-08 में यह कहता है कि उक्त सुअरिया उसके पिताजी लेकर आए थे। दिलीप आ०सा०-02 ने भी सुअरिया गोविंद की होना बताया है और उसे गोविंद से बटाई पर लिया जाना बताया है।
17. पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्र०पी०-05 में उक्त सुअरिया दिलीप की होना बताया गया है। जहां कि गोविंद आ०सा०-01 और दिलीप आ०सा०-02 यह साक्ष्य दे रहे हैं कि उक्त सुअरिया गोविंद की थी तथा उसके खण्डन में अनावेदकगण की ओर से इस बिन्दु पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, तब ऐसी स्थिति में यह अविश्वास किए जाने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है कि सुअरिया गोविंद की थी। समस्त साक्ष्य और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से उक्त सुअरिया गोविंद की होना प्रकट होती है। यद्यपि उक्त प्रश्नगत बस से उक्त दुर्घटना कारित होना प्रकट नहीं है। परंतु इस संबंध में क्षतिपूर्ति की राशि का निर्धारण किया जाना न्यायोचित है।
18. आवेदक गोविंद सिंह आ०सा०-01 और दिलीप सिंह आ०सा०-02 ने यह बताया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुअरिया के पेट से 12 नवजात छोटे-छोटे बच्चे निकले थे। परंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्र०पी०-05 का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उसमें यह उल्लेख है ही नहीं कि 12 छोटे-छोटे नवजात बच्चे सुअरिया के पेट में थे। प्र०पी०-05 के द्वितीय पृष्ठ पर कॉलम नंबर 15 लगायत 22 आमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, यकृत, पिल्ली, अग्नाशय, गुर्दा, मूत्राशय के संबंध में है जिसमें कोई असामान्यता नहीं पाई गई है। कॉलम नंबर 23 आंतरिक प्रजननांक के संबंध में है उसमें भी

कुछ नहीं पाया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकट है कि पोस्टमार्टम में सुअरिया के पेट में कोई बच्चे आदि होना नहीं पाए गए हैं। अभियोगपत्र में प्र०पी०-०८ की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है, जो सुअरिया के फोटो की है। परंतु मात्र फोटो के आधार पर यह प्रकट नहीं होता है कि उक्त सुअरिया गोविंद की है और उसके पेट से 12 बच्चे निकले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है।

19. गोविंद आ०सा०-०१ एवं दिलीप आ०सा०-०२ ने यह बताया है कि सुअरिया प्रतिवर्ष लगभग 12-12 बच्चे पैदा करती व सबके बाल व गोबर, खाद हेतु बिकते थे और एक पशु लगभग 25-30 हजार रुपए का विक्रय होता था। जिससे गोविंद की 50,000/-रुपए मासिक आय होती थी तथा उसका पशु पालन के अलावा अन्य कोई आय का साधन नहीं है। दुर्घटना में सुअरिया की मृत्यु होने से एक वर्ष में 6,00,000/-रुपए का नुकसान हुआ है और 10 वर्ष तक वह जीवित रहती तो 60,00,000/-रुपए की आय होती, 20,00,000/-रुपए मानसिक वेदना के लिए, इस प्रकार कुल 74,05,000/-रुपए की राशि का नुकसान हुआ है।
20. यहां पर आवेदक ने भविष्य में होने वाली संभावनाओं के आधार पर होने वाली आय के आधार पर क्षतिपूर्ति की राशि की मांग की है। परंतु न्याय दृ० सरला वर्मा एवं अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम एवं अन्य एआईआर 2009 एससी 3104 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि मृतक की नौकरी स्थाई थी, वहां भावी संभावनाओं का भी अवलोकन किया जा सकता है। परंतु इस मामले में सुअरिया की मृत्यु हुई है और उससे होने वाली किसी आय को स्थाई आय के रूप में मान्य नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार से क्षतिपूर्ति की राशि प्रदान नहीं की जा सकती है कि उसके 12 बच्चे होते और फिर बच्चों के बच्चे होते।
21. जहां कि सुअरिया की दुर्घटना में मृत्यु होना प्रमाणित है, वहां ऐसी स्थिति में केवल सुअरिया की कीमत के बराबर की राशि का निर्धारण किया जा सकता है। इस मामले में अभियोगपत्र धारा-429 भा०दं०सं० के तहत प्रस्तुत किया गया है। धारा-429 भा०दं०सं० 50/-रुपए या उससे अधिक मूल्य के किसी जीव जंतु का वध कर देने के

संबंध में है। इस मामले में पुलिस के द्वारा नुकसानी पंचनामा नहीं बनाया गया है कि सुअरिया की मृत्यु होने से आवेदक को कितनी राशि का नुकसान हुआ है। अतः ऐसी स्थिति में वर्तमान परिस्थितियों एवं सुअरिया के बाजार मूल्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त सुअरिया के बाजार मूल्य के बराबर की राशि 12,000/-रुपए का निर्धारण क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी राशि का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

वादप्रश्न क्रमांक 04:-

22. यह वादप्रश्न आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन के दोष के संबंध में है। इस संबंध में उभयपक्ष की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः यह प्रमाणित नहीं होता है कि प्रकरण में पक्षकारों के असंयोजन का कोई दोष है।

वादप्रश्न क्रमांक 06:-

23. यह वादप्रश्न आवेदक एवं अनावेदक के मध्य दुरभिसंधि होने के संबंध में है। उक्त वादप्रश्न अनावश्यक रूप से निर्मित है। जिसके संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है। अतः यह प्रमाणित नहीं होता है कि आवेदक तथा अनावेदकगण के मध्य कोई दुरभिसंधि है।

वादप्रश्न क्रमांक-05:-

24. यह वादप्रश्न बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में है। इस संबंध में सजल पाण्डे अना0सा0-03 ने स्वयं को ड्रायविंग लाइसेंस शाखा ग्वालियर में पदस्थ होना बताते हुए, धर्मेन्द्र सिंह पुत्र दुरविन सिंह अर्थात् अनावेदक क्रमांक 01 के लाइसेंस क्रमांक एम.पी. -07/2009/0000759 के कम्प्यूटराइज्ड ड्रायविंग लाइसेंस के पर्टीकूलर प्र0पी0-05ए को लेकर आना बताया है तथा उक्त लाइसेंस दिनांक 02.01.19 को मोटरसाइकिल एवं एल.एम.व्ही. नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए जारी होना बताया है। जिसकी वैधता 02.01.09 से 01.01.2029 तक होना बताई है।

25. हरेन्द्र ओझा अना0सा0-02 ने बीमा कंपनी की ओर से

इन्वेस्टीगेटर नियुक्त होना बताते हुए अनावेद क्रमांक 01 धर्मेन्द्र के ड्रायविंग लाइसेंस का पर्टीकूलर प्र०पी०-04 होना बताते हुए दुर्घटना दिनांक 14.09.14 को बस ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने का ड्रायविंग लाइसेंस धर्मेन्द्र के पास नहीं होना बताया है। भानू शिंधे अना०सा०-01 ने दिनांक 14.09.14 को अनावेदक धर्मेन्द्र के पास दिनांक 14.09.14 को ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने का ड्रायविंग लाइसेंस नहीं होना बताया है। यह भी बताया है कि बीमा पॉलिसी की शर्तों के अनुसार वैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लाइसेंस नहीं था तथा फिटनेस नहीं थी।

26. प्र०डी०-01 की बीमा पॉलिसी का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उसमें पॉलिसी कॉमर्शियल व्हीकल लायबिलिटी ऑनली पॉलिसी है अर्थात् पॉलिसी कॉमर्शियल व्हीकल की है, जिसके लिए वैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लाइसेंस की शर्त है। परंतु फिटनेस की कोई शर्त नहीं है। प्र०डी०-05ए के पर्टीकूलर का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि बस अर्थात् कॉमर्शियल व्हीकल के लिए लाइसेंस पर कोई पृष्ठांकन नहीं है। बीमा पॉलिसी के अनुसार उक्त बस क्रमांक एम.पी.-30-पी-0130 का कॉमर्शियल व्हीकल लाइबिलिटी हेतु पॉलिसी जारी की गई है। जिसके वैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लाइसेंस होने की शर्त है। प्र०डी०-05ए के अनुसार अनावेदक क्रमांक 01 के पास कॉमर्शियल चलाए जाने का कोई पृष्ठांकन नहीं था। इस कारण दुर्घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक 01 के पास उक्त कॉमर्शियल वाहन बस क्रमांक एम.पी.-30-पी-0130 को चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लाइसेंस नहीं था। इस प्रकार बीमा संविदा की शर्तों का उल्लंघन हुआ है।

27. न्याय दृ० नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम स्वर्णसिंह ए आई आर 2004 (3) एस सी सी 297 के अनुसार भुगतान करे और वसूली के सिद्धांत के अनुसार पहले बीमा कंपनी से राशि दिलाए जाने, उसके बाद बीमा कंपनी द्वारा अनावेदक क्रमांक 01 व 02 से इस प्रकरण की निष्पादन कार्यवाही के माध्यम से वसूल किया जाना न्यायोचित है। यदि इस मामले में उक्त बस के द्वारा उक्त दुर्घटना कारित होकर सुअरिया की मृत्यु होना प्रमाणित होती है तब आवेदक, अनावेदक क्रमांक 01 व 02 से उक्त क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने का अधिकारी होगा। उक्त

परिस्थिति होने पर सर्वप्रथम उक्त राशि बीमा कंपनी अनावेदक क्रमांक 03 अदा करेगी तथा उक्त राशि अनावेदक क्रमांक 01 व 02 से वसूल करेगी। परंतु इस मामले में अनावेदक क्रमांक 01 के द्वारा बस क्रमांक एम.पी.-30-पी-0130 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर उक्त दुर्घटना कारित कर सुअरिया की मृत्यु कारित करना प्रमाणित नहीं है। ऐसी स्थिति में आवेदक, अनावेदकगण से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

वादप्रश्न क्रमांक-07 सहायता एवं व्यय:-

28. उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह प्रकट और प्रमाणित नहीं हुआ है कि अनावेदक क्रमांक 01 ने अनावेदक क्रमांक 02 के नियोजन में रहते हुए बस क्रमांक एम.पी.-30-पी-0130 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर आवेदक की सुअरिया में टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की। इस कारण आवेदक, अनावेदकगण से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

29. अतः निम्न अधिनिर्णय पारित किया जाता है:-

1. क्लेम याचिका निरस्त की गई।
2. उभयपक्ष अपना अपना वादव्यय वहन करेंगे।
3. अधिवक्ता शुल्क 1,000/-रुपए लगाया जावे।

उपरोक्तानुसार व्यय तालिका बनाई जावे।

अधिनिर्णय न्यायालय में दिनांकित एवं मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया

(मोहम्मद अज़हर)
द्वितीय सदस्य मो.दु.दावा अधि.
गोहद, जिला भिण्ड

(मोहम्मद अज़हर)
द्वितीय सदस्य मो.दु.दावा.अधि.
गोहद, जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)